भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–90/2017–18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
21.08.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 913, दिनांक 13.08.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.08.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **श्री गंगाराम उगुरसंडी**, पिता–**स्व0 सीताराम उगुरसंडी**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)** ग्राम–**कोलचोकरा**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**कोलचकरा**, थाना नं0–**67**, खाता नं० **139**, प्लॉट नं0 **626** ए0, रकवा **0.07 ए0**, क्रेता **शांति बांकिरा**, पति–**सालुका बांकिरा**, ग्राम–**गेलियालोर**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, थाना–**टोकलो**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **श्री गंगाराम उगुरसंडी**, पिता–**स्व0 सीताराम उगुरसंडी**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)** ग्राम–**कोलचोकरा**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता थाना–**चक्रधरपुर** एवं क्रेता थाना–**टोकलो**, जिला–**प0 सिंहभूम चाईबासा** के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता का दोनों का जाति **हो (अ.ज.जा.)**, समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत **रकवा 3.68.600 ए0** अवशेष भूमि बचता है । अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता **शांति बांकिरा**, पति–**सालुका बांकिरा**, ग्राम–**गेलियालोर**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, थाना–**टोकलो**, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित 21.8.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर 21.8.18 भूमि सुधार उपसम.हर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	